सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश
कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर।

अल्पकालीन ई–टेण्डर सूचना सं0–12/WEDK/2020-21

महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 की ओर से जनपद–ललितपुर में बण्डाई डैम में सोलर पावर सिस्टम लगाने के कार्य से सम्बंधित है। अल्पकालीन ई–टेण्डरपोर्टल (http://etender.up.nic.in) पर आमंत्रित की गयी है। अल्पकालीन ई–टेण्डर दिनांक 04.11.2020 समय 10.00 बजे से दिनांक 12.11.2020 समय 13.00 बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं, जो दि0 12.11.2020 को अपरान्ह 14.00 बजे अधिशासी अभियंता,कार्यशाला स्थापन खण्ड, 7/7 लक्ष्मणबाग, कानपुर के कार्यालय कक्ष में नामित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा खुलने की तिथि में राजकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में नियत समय पर निविदा खोली जायेगी। ई–टेण्डर की प्रस्तुति हेतु पूर्ण विवरण ई–टेण्डरपोर्टल(http://etender.up.nic.in) पर देखा जा सकता है।

नोटः–ई–बिड को बिना किसी कारण के निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित है।

क.स.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी/फर्म का पंजीयन
1.	Supply and installation of off-grid solar power system having PV module 7.5 KVA/330WP capacity, poly& mono crystalline PV modules along with PCU of statecon make MPPT 10 KVA/180V and solar invatubular lead acid batteries of capacity 200AH,Exide make alongwith all accessories, GI structure , DC wire, DVR box PC connector earthing, trial and testing of solar system with freight at Bandai Dam Lalitpur.U.P.excluding of G.S.T. 5yrs AMC at site.	1225000.00	24500.00 (Twenty Four Thousand Five Hundred)	1225+18% GST	15 दिवस	”A” and Above

(आशुतोष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियंता

प्रत्येक निविदादाता कोः–

1. (i) रु0 100.00 के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रुपये के रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। अलग–अलग कार्यो लाटो के लिए अलग–अलग निविदायें/दरें देनी होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टाम्प ड्यूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की अवशेष सिक्योरिटी कुल (10 प्रतिशत) भी जमा करनी होगी।

   (ii) निविदा के कार्यों को करने हेतु इच्छुक व्यक्ति संस्था द्वारा आई0डी0टी0–3 प्रपत्र पर स्व घोषणा–पत्र रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर, निविदा के साथ दिया जायेगा। स्व घोषणा–पत्र निविदा का अनिवार्य अंग होगा, बिना इसके कोई भी निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

   (iii) विगत वर्षो में निविदा दाता द्वारा बॉधो/बैराजों के जलयॉत्रिक संयत्रों की स्थापना तथा विद्युतीकरण के कार्यो का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसका विवरण निविदा दाता द्वारा निविदा प्रपत्र में संलग्न प्रपत्र सं0 एनेक्जर ए–1 व ए–2 में देना होगा।

   (iv) पहले पार्ट–ए खोले जायेंगे तथा पार्ट–ए के उपयुक्त पाये जाने पर ही पार्ट–बी खोली जायेंगी।

2. यह निविदा सूचना वेबसाइट **(http://upgov.up.nic.in/infotech)** तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की वेबसाइट **(http:/idup.gov.in)** पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेबसाइड से डाउनलोड की जा सकती है। किन्तु इसकी लागत मूल्य आनलाइन जमा रसीद प्रपत्र के साथ आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3 व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। जो कार्यालय अधिशासी अभियंता, कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर 7/7 लक्ष्मणबाग, कानपुर में दिनॉक 12.11.2020 समय 13:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराना आवश्यक होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियंता,कार्यषाला स्थापन खण्ड,कानपुर से प्राप्त कर सकेंगे।
3. कोई भी निविदादाता, जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
4. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध/पट्टा गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
5. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक् असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
6. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
7. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधिशासी अभियंता,कार्यशाला स्थापन खण्ड,कानपुर के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
8. चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र व स्व घोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिये जायेंगे तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम उक्त अभिलेख गलत पाये जाने पर तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
9. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने आई0डी0टी0–1, आई0डी0टी0–2, आई0डी0टी0–3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध कराई है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी।
10. निविदा प्रपत्र ई–प्रोक्योरमेन्ट बेबसाइट से डाउनलोड कियाा जा सकेगा, किन्तु निविदा शुल्क 1445.00 अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र के पार्ट 'ए' के साथ आनलाइन भुगतान करने के पश्चात् रसीद कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर 7/7 लक्ष्मण बाग, कम्पनी बाग, नवाबगंज, कानपुर में जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. प्रत्येक निविदादाता को इस कार्य हेतु बांधो/बैराजो पर विद्युतीकरण/ सोलर से सम्बन्धित कार्यो में अनुभव होना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियंता
कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर

अन्य शर्तें

1— विषयक कार्यों को कार्यशाला के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता तथा अन्य विभागीय तकनीकी स्टॉफ की देखरेख में कराया जायेगा। जल यांत्रिक प्रणालियों के कार्य विशेष प्रकृति के होने के कारण मात्र इन कार्यों मे निपुण कार्मिकों को ही ठेकेदार द्वारा योजित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा एवं विभाग की कोई देनदारी नहीं होगी।

2— कार्मिकों को कार्य की आवश्यकतानुसार ही इन्गेज किया जायेगा।

3— मात्र विषयक कार्य विशेष के लिए योजित कर्मचारियों को विभाग में किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं होगा।

4— स्थानीय कार्मिकों को वरीयता होगी, जिन्हें आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकेगा।

5— विषयक कार्यों हेतु किसी प्रकार की आवासीय, खान—पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

6— कार्यों में प्रयुक्त होने वाली टी0 एण्ड पी0 तथा अन्य सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

7— बिड के किसी भी लाट को बिना किसी कारण के निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में सुरक्षित है।

8— प्रत्येक निविदादाता को इस कार्य हेतु बांधो बैराजो गेटो/विद्युतीकरण/सोलर से सम्बन्धित कार्यो में अनुभव होना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियंता
कार्यशाला स्थापन खण्ड, कानपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by ASHUTOSH KUMAR SINGH
Date: 2020.11.04 14:37:03 IST
Location: Uttar Pradesh-UP